



## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक / /2025

### // कार्यालय-आदेश //

आदेशानुसार, विधान सभा सचिवालय में षष्ठम विधान सभा के बजट सत्रोपरांत सोमवार, दिनांक 24 मार्च एवं बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को दो दिवस का विश्राम अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश के दिन बाहर से आने वाली डाक प्राप्त करने हेतु आगम/निर्गम शाखा में एक लिपिक एवं एक भृत्य की इयूटी लगाई जावेगी, जिन्हें विश्राम अवकाश का लाभ एक माह के भीतर लेने की पात्रता होगी।

दिनांक 24 मार्च, 2025 को विधान सभा सचिवालय में मान. राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इयूटी लगाई गयी है, उन्हें एक दिवस के विश्राम अवकाश का लाभ एक माह के भीतर लेने की पात्रता होगी।

मान. राष्ट्रपति महोदया के दिनांक 24 मार्च, 2025 को आगमन के दृष्टिगत आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु शासकीय अवकाश दिवस दिनांक 22 एवं 23.03.2025 को कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे या कार्य समाप्ति तक रहेगा।

माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन दिवस दिनांक 24.03.2025 को जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इयूटी लगायी गई है, उनका कार्यालयीन समय प्रातः 8.00 बजे से कार्य समाप्ति तक रहेगा। उक्त दिवस समस्त इयूटीरत अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी सफेद शर्ट-पेंट (गणवेश) के ऊपर प्रदायित ब्लेजर धारित कर तथा वाहन चालक /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किये गये निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर दृष्टव्य रूप से अपना सचिवालयीन परिचय पत्र एवं मान. राष्ट्रपति महोदया के आगमन हेतु जारी पृथक परिचय पत्र तथा सम्मेलन शाखा से रजत जयंती संबंधित बैच प्राप्त कर उसे भी अपने गणवेश में दृष्टव्य स्थान पर अनिवार्य रूप से धारित करेंगे।

दिनांक 24.03.2025 को पहली बस प्रातः 07.25 बजे सिद्धार्थ चौक से, दूसरी बस प्रातः 7.25 बजे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से तथा तीसरी बस प्रातः 7.40 बजे विजेता कॉम्प्लेक्स से प्रतिदिन अनुसार निर्धारित मार्ग से होते हुए प्रातः 8.00 बजे विधान सभा भवन पहुंचेगी।

आदेश से,

*हस्ताक्षर*

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 5033/वि.स./स्था./2025

रायपुर, दिनांक 21/03 /2025

प्रतिलिपि:-

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छ.ग.विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

*जा. 5033/21/03/25*

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा